



2026:AHC:19554

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2521, वर्ष 2025

धरमपाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : शरद चंद्र राय

प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., मेहदी अब्बास, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का सुना।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"1. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 को यह निर्देश/आदेश दिया जाए कि वे इस मामले की जांच करें और अनाधिकृत कब्जेदार/प्रतिवादी संख्या 6 से 12 द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। यह अतिक्रमण खाता संख्या 00273 (खसरा/गाटा संख्या 435, क्षेत्रफल 0.5440 हेक्टेयर), खाता संख्या 00292 (खसरा/गाटा संख्या 435mi, क्षेत्रफल 0.0630 हेक्टेयर), खाता संख्या 00290 (खसरा/गाटा संख्या 453, क्षेत्रफल 0.7970 हेक्टेयर), और खाता संख्या 00285 (खसरा/गाटा संख्या 454, क्षेत्रफल 0.0190 हेक्टेयर) वाली भूमि पर किया गया है; यह भूमि राजस्व अभिलेखों में 'जोहड़' (तालाब), 'कुम्हार गड्ढे', 'कब्रिस्तान' (Grave Yard) और 'सार्वजनिक पथ/रास्ता' के रूप में दर्ज है और ग्राम बिरल, तहसील बड़ौत में स्थित है। उनके विरुद्ध कानून के अनुसार, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, उचित विधिक कार्रवाई की जाए।"

2. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 3 और 4

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के विरुद्ध कार्यवाई करें; यह कार्यवाई याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक **27.05.2025** को प्रस्तुत उस अभ्यावेदन के आधार पर की जाए, जो आज भी प्रतिवादी संख्या **2** के कार्यालय में लंबित है, और जिसके बावजूद प्रतिवादी संख्या **3** और **4** ने विवादित भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटाया है।

3. इस न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन में, राज्य की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही दर्ज की गई है, जो विचाराधीन भूखंड पर अवैध कब्जे में पाया गया है; इस कार्यवाही को वाद संख्या T202511080409563 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, बड़ौत, बागपत, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत उपर्युक्त कार्यवाही का निर्णय, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार और शीघ्रता से करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

28 जनवरी 2026

सी. प्रकाश